97

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प0क्र:-5(8)राज-6/97/6 जयपुर, दिनांक:- 9.6.09

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

विभाग के यह ध्यान में लाया गया है कि जमाबंदी लेखन के समय की जाने वाली प्रविष्टियां नियमुनसार नहीं की जा रही है। जमाबंदी में की जाने वाली प्रविष्टियों के सबंध में राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 114, 121 तथा राज0 भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 153 से 169 में व्यापक प्रावधान है जिसके अनुसार अभिधृति धारक का नाम, पिता का नाम, जाति एवं निवास के साथ-साथ अभिधृति सह-धारक, सह-भागीदार, कब्जाधारी तथा बधंकदारों तथा उसमें काश्तकार के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भूमि धारण करने के हित यदि कोई हो, का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि यदि अभिधृति धारक यदि कोई कम्पनी या संस्था है तो कम्पनी या संस्था के नाम के साथ-साथ ' **जरिये निदेशक** ', ' **जरिये मैनेजर** ' आदि प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो भू-अभिलेख नियमों का उल्लंघन है। इस प्रकार की त्रृटिपूर्ण प्रविष्टियों से भविष्य में रिकार्ड संधारण में कठिनाईयां उत्पन्न होगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में जमाबंदी के कॉलम संख्या 6 में प्रविष्टि नियमानुसार की जावें तथा किसी प्रकार की अवांछित प्रविष्टी नहीं की जावें। अब तक हो चुकी त्रृटिपूर्ण प्रविष्टियों को ठीक करने हेतु राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 एवं राज0 भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 399, 406, 416, 423 के अर्न्तगत व्यापक प्रावधान है। राजस्व रिकार्ड को आदिनांक एवं त्रृटिरहित संधारित करना राजस्व अधिकारियों का परम दायित्व है।

अतः उपरोक्त प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजस्व रिकार्ड को आदिनांक एवं त्रृटिरहित करने की कार्यवाही की जावें।

परिपत्र की जानकारी आपके अधिनस्थ अधिकारियों को कराई जावें। पत्र की पावती से अवगत कराया जावे।

09/6/2009

(अशोक सम्पतराम)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निदेशक, आर0आर0टी0आई, अजमेर।
6. समस्त शासन उप सचिव, राजस्व।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव